



आरबीटीसी

18

प्रार्थना पत्र खारिज होने से खारिज किया जाता है। तलबिका रिपोर्ट मय
दस्तावेजों (पट्टे) नहीं है। प्रार्थी का मकान/मंजूर पक्का ना होकर कच्चा है। अतः
प्रार्थी के पास अपने मकान/मंजूर का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी

तहसीलदार (म.अ.) उनीयारा म. अलीगढ़ जिला टोक के इस्तखार है।
सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उज्जैन जिला टोक व
आइ. द्वारा अर्वाड 17,719/- पारित किया गया है। उक्त Valuation Report पर
INFRADESINGS PVT. LTD. द्वारा 17,719/- निर्धारण करने के उपरान्त एन.एच.ए.
परिसम्पत्ति का Valuation Report of Immovable Property By HORIZON
1 गाम नजीरपुरा में खसरा संख्या 104 पर सरकारी भूमि पर स्थित Single Story

से है।
मकान/मंजूर की वृत्तव्यवधान शीट की सत्यप्रतिलिपि भिजवाई गई है, जो निम्न प्रकार
पत्र क्रमांक:-ए.स.जी.सी/म.अ.ग. 148 एन/330 दिनांक 05.04.2022 से प्रार्थी के
नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्वाड) एवं उज्जैन अधिकाारी उनीयारा के
5,00,000 रुपये वाहता है, परन्तु उक्त द्वारा इसकी वायदा में साक्ष्य-सर्वत प्रस्तुत
गया है। प्रार्थी द्वारा अर्वाड मकान/मंजूर का म.अ.ग.वा. बालार मंजूर की दर से
अधिकतम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अर्वाड म.अ.ग.वा. का निर्धारण नियमानुसार किया
भूमि ख0न0 104 में स्थित है, किस्म जमीन म.अ.ग.वा.दी वाके गाम नजीरपुरा का
राजधानी संख्या 148 एन उज्जैन अधिकाारी उनीयारा द्वारा प्रार्थी के मकान/मंजूर
पत्रवली का न्यूनतम अद्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्वाड अधिकाारी वरुण
जवाब/वस का अवलोकन किया तथा पत्रवली पर उपलब्ध दस्तावेजों अर्वाड
इसने वस अधिकाारी प्रार्थी व अधिकाारी संख्या-2 सेनी।

प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।
द्वारा सार्वजनिक तहसीलदार रखते हुए अर्वाड जारी किया है जो उचित है। अतः
अर्वाड शी. प्रार्थी को निर्मित संरचनाओं का म.अ.ग.वा. दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी
विभाग द्वारा सार्व (वेट) किया गया। जमीन की किस्म म.अ.ग.वा.दी राजस्व रिपोर्ट में
रकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण
में पी.डब्ल्यू.डी. की बी एस आर (बसिक डिजाइन ऑफ स्टेट) के आधार पर स्वतंत्र
सर्व एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्धारित किया गया। इस संबंध
आदेश दिया गया साथ ही संबंधित तहसीलदार को उक्त पत्रवली एवं निरदावली सहित
आदेश का सर्व कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का
म.अ.ग.वा. शी. के निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त अर्वाड भूमि एवं निर्माण
से कन्ड सरकार में निर्मित हो गई। अर्वाड शी. भूमि में स्थित संरचनाओं/निर्माण की
गया। धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप
भूमि अर्वाड अधिकाारी द्वारा संबंधित डिजाइनकारियों के हक में अर्वाड पारित किया
की गई उक्तका विधि के प्राधान्यों के अर्वाड निर्माण किसे जाने के उपरान्त सक्षम
आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, जिस-जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत
3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् प्रार्थना का. 3 शी के अन्तर्गत
प्राधान्यों के अर्वाड पारित किया गया है। अर्वाड भूमि का अधिकतम की धारा



आरबी/एच/ए-148 एन
आरबी/एच/ए-148 एन
(टी.ना. डी.बी.)
आरबी/एच/ए-148 एन
आरबी/एच/ए-148 एन
आरबी/एच/ए-148 एन
आरबी/एच/ए-148 एन

#

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खूले स्याधारतय में सैनिया गया।

निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी मीम अर्थात् सार्वीय राजमार्ग संख्या-148 एन (उपखण्ड अधिकारी) रनिधारा को प्रेषित किया जावे।